न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00054)

1. बाबूलाल
2. पुत्र मुरलीनाथ जाति जोगी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

—**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

—**रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.11.2017 बअपील संख्या 107/17 उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार

उपस्थित—

1. श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक —08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मीणा सीमला तहसील सिकराय में ओमप्रकाश चौधरी ने आबादी भूमि में 439 वर्गगज का पटटा ग्राम पंचायत मीणा सीमला पंचायत समिति सिकराय से दिनांक 05.10.04 को 6585/— रूपये नजराना भुगतान कर प्राप्त किया था। पट्टाधारी ओमप्रकाश एवं बाबूलाल ने पटटा शुदा भूमि को दिनांक 14.03.16 को श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि बाबूलाल को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बेचना कर दिया व पट्टा शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। पटटा ग्रहितागण के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति सुमन मीणा के पास से चोरी गया, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 87/2012 पुलिस थाना महन्दीपुर में दिनांक 28.06.12 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अन्तिम प्रतिवदेन लगाया गया। दिनांक 22.08.2012 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय द्वारा एफ. आर. स्वीकार हुई। तहसीलदार सिकराय ने क्रेती श्रीमति लक्ष्मीदेवी द्वारा आश्रम के निर्माण के दौरान वर्तमान भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 193/2 में से 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम सूचना पत्र प्रेषित किया और खसरा नम्बर 193/2 को चारागाह भूमि बताया गया। अपीलान्ट ने अपना उत्तर अन्तर्गत धारा 91 (6) रा.भू.रा. अधिनियम का तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी के प्रतिवेदन के बाद दिनांक 17.02.2016 को निरस्त फरमाया गया। पटवारी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं होना बताकर प्रतिवेदन पेश किया गया। ग्राम मीणा सीमला में बाद भू—प्रबन्ध चारागाह भूमि व आबादी भूमि के खसरा नं. परिवर्तित हुए तथा चारागाह भूमि में खसरा नं. 275 एवं आबादी भूमि के खसरा नं. 260 बनाये गये। आश्रम निर्माण हो जाने के डेढ वर्ष बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 18.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष संवत 2074 में खसरा नं. 275 रकबा 1.15 है0 भूमि के 1 एयर भू—भाग पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा (गेस्ट हाउस) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट को दिनांक 03.11.17 को तलब किया। अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय ने उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत कर निर्माण पटटा शुदा भूमि पर होने का निवेदन किया और कार्यवाही ड्रॉप करने की प्रार्थना की किन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.11.2017 को अपीलान्ट को बेदखल करने व 12 रूपये शास्ति जमा कराने के आदेश फरमाये। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सिकराय के उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 27.11.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्ट की उपस्थिति में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट बाबूलाल पुत्र मुरलीनाथ द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को बिना समझे एवं तहसीलदार की स्वेच्छिक कार्यवाही कर दृष्टीपात किये बिना विवादित स्थल के संबंध में तहसीलदार सिकराय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17.2.2016 के बावजूद पुनः सीमा ज्ञान करने के आदेश पारित कर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में दिनांक 3.11.2017 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि गेस्ट हाउस सन 2004 से बना हुआ है, अतिक्रमण नहीं है। सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने श्रीमती लक्ष्मी देवी के गेस्ट हाउस को आबादी भूमि में नही मानकर राजकीय भूमि पर माना है। एक ऐयर भूमि का क्षेत्रफल 100 मीटर बनता है। आबादी भूमि पर पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 439 वर्ग गज का दिनांक 5.10.04 को जारी किया गया है। उक्त भूमि को लक्ष्मी देवी ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.3.2016 को क्रय किया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश अविवेकपूर्ण है, जो गेस्ट हाउस 100 वर्ग मीटर पर नहीं बल्कि 367.57 वर्ग मीटर पर गेस्ट हाउस बना हुआ है। अतः प्रश्नगत आदेश मौके की स्थिति के विपरीत फरमाये जाने के कारण खण्डनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 275 वाके ग्राम मीना सीमला के भू प्रबन्ध के पूर्व खसरा नम्बर 193/2 के एक बिस्वा भाग पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर दिनांक 23.9.13 को अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सूचना पत्र जारी किया गया। पुनः दिनांक 26.9.13 के लिए प्रकरण संख्या 777/13 में सूचना पत्र अन्तगत धारा 91 (6) रा.भू.रा. अधिनियम प्रचलित किया गया जो दिनांक 17.2.2016 को निरस्त कर कार्यवाही ड्रॉप की गई। भूमि रबर नहीं है जो घटती बढती है। दिनांक 17.2.2016 के आदेश के बाद दिनांक 10.11.2017 का आदेश अपीलान्ट को परेशान कर समुचित रूप से लाभ उठाने का प्रयास है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को स्वीकार किया है कि गेस्ट हाउस की मालिक श्रीमती लक्ष्मी देवी को सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया खसरा नम्बर 260 आबादी भूमि एवं खसरा नम्बर 275 चरागाह भूमि की सीमाएं पृथक–पृथक विभाजित है पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सीमा स्थिति की जानकारी कर आबादी भूमि में जारी किया गया था। तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार एवं औचित्य के गेस्ट हाउस को अतिक्रमित बताकर तथ्यात्मक त्रुटि की है। इस प्रकार अधिनस्थ तहसीलदार ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को सही मानकर पारित निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से खण्डनीय है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सिकराय जिला दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिकराय, जिला दौसा द्वारा दीवानी वाद संख्या 55/2022, लक्ष्मी देवी बनाम राज्य सरकार वाद बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2023 को अपास्त किया गया है तथा अपीलान्ट की अपील विरूद्ध प्रतिवादी एक पक्षीय इस आशय की स्वीकार जाकर वादीया के क्रयशुदा भूखण्ड नजरी नक्शे में दर्शित को प्रतिवादी वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें तथा दिनांक 29.12.2017 को प्रतिवादी द्वारा जब्त की गई वादीया की सम्पति से अपना कब्जा हटाकर वादीया को कब्जा अविलम्ब सुपुर्द करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपील सेवा में समय सीमा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर कि अपर जिला न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय पर सक्षम स्तर से अपील नो अपील बाबत निर्णय लिये जाने के पश्चात नो अपील की स्थिति में उपरोक्त निर्णय के आलोक मे उभयपक्षकारान को सुनवाई तथा साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत विधिसम्मत अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर जिला न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय पर सक्षम स्तर से अपील नो अपील बाबत निर्णय लिये जाने के पश्चात नो अपील की स्थिति में उपरोक्त निर्णय के आलोक में उभयपक्षकारान को सुनवाई तथा साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत विधिसम्मत अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर